HAMIRPUR POLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले किशोर अपचारी को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 3,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना **सुमेरपुर** में पंजीकृत **मु0अ0सं0-173/2017 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट में** सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय **विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर**(किशोर अपचारी)** को दोषसिद्ध करते हुये **03 वर्ष के कठोर कारावास व 3,000/-** रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।

	एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह		विवेचक- उ0नि0 रवि बैजल		**पैरोकार** **थाना- सुमेरपुर** **का0 शुभम यादव**